प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त

1.उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
2.बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
3.चकबन्दी अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 697/जी-415/2012-13 दिनांक 10 फरवरी 2016

विषय–विनिमय अनुपात निर्धारण एवं चक निर्माण की प्रकिया पर प्रभावी नियंत्रण रखने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के परिपत्र संख्या 464/जी–415/2012–13 दिनांक 29.01.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त परिपत्र के द्वारा विनिमय अनुपात निर्धारण एवं चक निर्माण की प्रकिया पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से जोत चकबन्दी मैनुअल, परिच्छेद–7, प्रस्तर 126–154 तथा परिच्छेद–13 में प्रदत्त व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा विनिमय अनुपात का निर्धारण व चक निर्माण की कार्यवाही पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिये गये थे तथा अभिलेखों पर प्रमाण पत्र अंकित कर उसकी प्रतियाँ उच्च अधिकारियों एवं निदेशालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि चकबन्दी अधिकारी व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी समय–समय पर सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा विनिमय अनुपात निर्धारण एवं चक निर्माण कार्यवाही का निरीक्षण करेंगे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में की गयी कार्यवाही के संबंध में समय–समय पर गहन समीक्षा निदेशालय द्वारा की जाएगी। परन्तु यह खेद का विषय है कि किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण टिप्पणी निदेशालय पर प्रेषित नहीं की गई है।

अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय के परिपत्र दिनांक 29.01.2015 द्वारा निर्गत निर्देशों के कम में की गयी निरीक्षण कार्यवाही का विस्तृत विवरण एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कृत कार्यवाही की समीक्षा की जा सके। भविष्य में भी उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(सुरेश चन्द्रा)
चकबन्दी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि:–समस्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरेश चन्द्रा)
चकबन्दी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।